न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— हेमराज गुर्जर (RAS)
मुकदमा न0—91 / 2024 दायर दिनांक 26.06.2024
जीसीएमएस आई0डी0—2024 / 229

महादेई पत्नी गंगाराम जाति धाकड निवासी धाकडपोठा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

— सायलान—03

बनाम

अतरसिंह पुत्र रामावतार जाति धाकड निवासी धाकडपोठा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

—गैरसायलान—08

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री पी.एल.गोयल वकील सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 19-3-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 2628 / 10076 रकवा 0.05 ऐयर, खसरा न0 3629 रकवा 0.33 ऐयर, ख0न0 3630 रकवा 0.39 ऐयर कुल किता 3 रकवा 0.77 ऐयर कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है, आराजी मुतजिका मद न0 03 प्रार्थना पत्र में सायलान के पति व पिता गंगाराम पुत्र रामावतार 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे, जिनका दिनांक 20.2.2020 को देहांत हो गया तथा सायलान गंगाराम के विधिक वारिस है, और उनके हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग— उपभोग करते चले आ रहे है, और इस प्रकार सायलान उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, आराजीयात मुतजिका मद न0 02 प्रार्थना पत्र में 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 01 तथा गैरसायल न0 02 भी 1/4 हिस्से का तथा गैरसायल न0 03 ता0 06 वहिस्सा नम्बर अर्थात 1/16—1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, इसप्रकार सायलान एवं गैरसायलान उक्त आराजीयात में अपने— अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतजिका मद न0 02 प्रार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिस पर सायलान व गैरसायलान न0 01 ता0 06 अपने – अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त कर भूमि का उपयोग – उपभोग करते चले आ रहे है, तथा सायलान एंव गैरसायलान नं0 01 तथा 06 बजमाने बुजुर्गान उक्त आराजी का मौके पर बहामी तकास्मा के अनुसार काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा सायलान एवं गैरसायलान न0 01 ता0 06 के मध्य उक्त आराजी का कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है, जिसके कारण डोल मेंढ को लेकर आये दिन आपसी तनाजा बना रहता है।

सायलान के पति व पिता गंगाराम का स्वर्गवास हो जाने पर सायलान ही उसके विधिक वारिस है, और राजस्व रिकॉर्ड में गंगाराम के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने कानूनी अधिकारी है। लेकिन गैरसायलान न0 01 ता0 06 के मन में उक्त आराजी मुतजिका मद न0 02 प्रार्थना पत्र मे सायलान के हिस्से को हडपने की ओर भूमि से सायलान को लटठ् के बल पर वेदखल करने की बदयांति पैदा हो गई है ओर इसलिए वे आये दिन सायलान को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त भूमि को दीगर व लठैत लोगों को विक्रय कर व भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तित कर उस पर प्लाटिंग कराने पर आमादा है। और सायलान के समझाने पर भी मानने को तैयार नही है, इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्यटया केस बखूवी साबित है।

वाका दिनाक 23.08.2024 का है कि सावलान आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की आराजीयात देखमाल कर रहे थे कि इतने में ही गैरसायल नम्बर 01 ता 06 मौके पर आए और कहा कि उक्त जमीन से तुम्हारा कोई लेनादेना नहीं है, तुम यहां क्यों आए हो, यह जमीन तो हमारी है और तो सायलान ने सभी से निवेदन किया कि उक्त आराजीयात में हमारा 1/4 हिस्सा व कब्जा है, जिसे हम प्राप्त करके [illegible] 1/4 हिस्से का नामातकरण अपने हक में खुलवाने के कानूनी अधिकारी है, हम सभी तहसील में चलकर हमारे हिस्से का नामातकरण खुलवाकर इस जमीन का विधिवत बंटवारा करा लेते है, तुम तुम्हारे हिस्से का कुछ भी करना, हमारे हिस्से की जमीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है तो इतने में ही गैरसायलान नाराज हो गये और कहा कि जमीनों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है. हम तुम्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को दीगर लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्तियों को बेचान कर तथा भूमि में प्लाटिंग कराकर भूमि को कृषि से अकृषि कर देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उन्होंने भूमि की खातेदारी तहसील में चलकर सायलान के हिस्से के अनुरूप उनके नाम खुलवाने और भूमि का विधिवत तकारमा कराने से इन्कार कर दिया, सायलान के समझाने पर भी गैरसायलान मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान बखिलाफ गैरसायलान दायर करना आवश्यक हुआ, अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे आराजी खसरा नम्बर 2628/10076 रकवा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 3629 रकवा 33 ऐयर, खसरा नम्बर 3630 रकवा 39 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकवा 77 ऐयर स्थित करबा हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली में सायलान के हिस्से 1/4 के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें, तथा सायलान को उनके हिस्से से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे और ना ही भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये दीगर व लठैत लोगों को रहनवय कर उनके हक में कोई दस्तावेज/बयनामा तहरीर कराकर गैरसायल नम्बर 07 के यहां पंजीबद्ध करावें और ना ही भूमि में प्लाटिंग कर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान व हक हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तामील कराया गया गैरसायल न0 1 बाबजूद जबाब प्रस्तुत नहीं आदेशिका दिनांक 28.11 ... से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायल न0 2 ता 6 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 03.01.2025 से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ठोस एवं मजबूत आधारों पर पेश नहीं होकर बिल्कुल ही बनावटी व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की लैशमात्र भी संभावना नहीं है।
2. प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 जिस प्रकार तहरीर है, स्वीकार है।
3. प्रार्थनापत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है, स्वीकार है।
4. प्रार्थनापत्र का मद नं. 4 में सायल व गैरसायलान के मध्य आये दिन डौल–मेड को लेकर आपसी तनाजा रहने वाली बात को छोडकर शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर है, स्वीकार है।
5. प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। सायला सं. 1 व सायल सं. 2 व 3 के पिता गंगाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् गैरसायलान के मन में उनके हिस्से की आराजीयात को हडपने की कोई बदयान्ति नहीं रही है और ना ही। सायलान को लठ्ठ के बल पर बेदखल करने की बदयान्ति रही है और ना ही कभी सायलान को हैरान व परेशान किया गया है और ना ही गैरसायलान उक्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित कर प्लॉट काटने पर आमादा है तथा उक्त मद में सारी बातें बनावटी व झूठी दर्ज की गई है। गैरसायलान ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे कि सायलान को समझाने की आवश्यकता हो।
6. प्रार्थनापत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 23.06.2024 को सायलान प्रार्थनापत्र के मद नं. 2 में दर्ज अपने हिस्से की आराजीयात की देखभाल नहीं कर रहे थे और ना ही सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई कहासुनी हुई और ना ही सायलान ने गैरसायलान से तहसील में चलकर नामान्तकरण खुलवाने व विधिवत् बँटवारा करवाने के लिए कहा और [illegible]सायलान ने सायलान को जबरन लठ्ठ के बल [illegible] करने के बारे में कहा और ना ही उक्त भूमि को दी[illegible]के लोगों को बेचान कर प्लॉट काटने के लिए कहा और ना ही गैरसायलान ने सायलान से तकास्मा करने से इन्कार किया। उक्त मद में सारी बातें बनावटी व मनगढन्त दर्ज की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थनापत्र का मद नं. 7 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 23.06.2024 को सायलान को गैरसायलान के विरुद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 1013 वाके करवा हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को इस अग्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाये कि वे आराजी खसरा नम्बर 2628/10076 रकबा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 3629 रकबा 33 ऐयर, खसरा नम्बर 3630 रकबा 39 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 77 ऐयर स्थित करवा हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली में सायलान के हिस्से 1/4 के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें, तथा सायलान को उनके हिस्से से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे और ना ही भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये दीगर व लठैत लोगों को रहनवय कर उनके हक में कोई दस्तावेज/वयनामा तहरीर कराकर गैरसायल नम्बर 07 के यहां पंजीबद्ध करावें और ना ही भूमि में प्लाटिंग कर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करने जिससे सायलान को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान व हंक हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने अपने बहस कथन में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि सायला सं. 1 व सायल सं. 2 व 3 के पिता गंगाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् गैरसायलान के मन में उनके हिस्से की आराजीयात को हडपने की कोई बदयान्ति नहीं रही है और ना ही। सायलान को लठैतों के बल पर बेदखल करने की बदयान्ति रही है और ना ही कभी सायलान को हैरान परेशान किया गया है और ना ही गैरसायलान उक्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित कर प्लॉट काटने पर आमादा है तथा उक्त मद में सारी बातें बनावटी व झूठी दर्ज की गई है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 1013 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 2628/10076, 3629, 3630 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 26.06.2024 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 19-3-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 19/3/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन